



ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631 (UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019



कन्या भ्रूण हत्या एवं महिला सशक्तिकरण— एक सामाजिक अध्ययन

डॉ. अमिताप शर्मा

वणिज्य विभाग , शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सिवनी, (म.प्र.)

शोध सारांश:

सृष्टि के आरम्भिक काल से ही समाज के विकास में पुरुष के समान ही महिलाओं का भी विशेष महत्व रहा है। महिला सृजन और निर्माण शक्ति की विभूति है। वह समाज और संस्कृति की जन्मदात्री तथा पोषककत्री है। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया गया है, क्योंकि महिला एवं पुरुष विकास रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का उतना ही महत्व है, जितना कि पुरुषों का। महिलाओं के विकास के बिना राष्ट्र के विकास की बात करना एक कोरी कल्पना प्रतीत होता है। आज लिंग परीक्षण, भ्रूण हत्या और बालिका शिक्षा

की समस्या केवल महिला ही नहीं वरन् राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गयी है। वर्तमान समय में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ बालिकाओं के जन्म को अभिशाप माना जाता है। भारत में स्वतन्त्रता के बाद से महिला कल्याण के लिए एवं ९० के दशक के बाद से महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर निरन्तर प्रयास किए जाते रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक सहभागिता, निर्णय क्षमता आदि के सन्दर्भ में पुरुषों की तुलना में कमजोर स्थिति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सशक्तिकरण का पहला आयाम महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जागृत करना है। पुरुष और महिला की सामाजिक स्थिति में अंतर या तो समूचे समाज में मौजूद है, किन्तु ग्रामीण समाज में महिलाओं की दशा अत्यन्त दयनीय है। शहरों में तो शिक्षा, समाज सुधार आन्दोलन और प्रचार प्रसार के माध्यम से महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति समानता एवं स्वतन्त्रता का भाव जागृत हुआ है, परन्तु ग्रामीण समाज में औरतें पारिवारिक व सामाजिक शोषण की शिकार हो रही हैं। वर्तमान समय में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ बालिकाओं के जन्म को अभिशाप माना जाता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नित नये प्रयोगों और अनुसंधानों के माध्यम से जहाँ एक ओर असाध्य समझी जाने वाली अनेक बीमारियों से लाखों करोड़ों लोगों की मुक्ति के द्वार खोले गये हैं वहीं दूसरी ओर कुंठित प्रवृत्ति के लोगों के बीच प्रकृति के विरुद्ध धिनौनी छेड़छाड़ करने की होड़ लगी हुई है। इन्हीं में से एक प्रयोग बालिका भ्रूण हत्या का है जिससे अल्ट्रा सोनोग्राफी, एम्नियोसेटेसिस तथा अन्य तकनीकों के जरिए गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता करके बालिका भ्रूण पाये जाने पर गर्भपात के जरिए उसकी हत्या किये जाने का गैर कानूनी सिलसिला बड़ी तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। देश में जनवरी १९९६ से प्रसवपूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम के अंतर्गत गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण पर पावंदी है। लेकिन इसी समुचित क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाया है।

मुख्य शब्दः— महिला सशक्तिकरण, सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक शोषण, भ्रूण परीक्षण व हत्या, बालिका शिक्षा।

प्रस्तावनाः— भारतीय नारी की प्रकृति

सृजनशील एवं रचनात्मक शक्ति की प्रतीक है। वह समाज और संस्कृति की जन्मदात्री व पोषककर्त्री है। संसार में यदि नारी न होती तो सभ्यता और संस्कृति भी न होती। नारी के सहयोग, विद्रोह, शौर्य—साहस से लड़ाईयाँ

और बलिदानों की गाथाएँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक ऐतिहासिक ग्रंथों धार्मिक महाकाव्यों यथा रामायण, महाभारत आदि, वेदो, उपनिषदों से लेकर पुराणों तक फैली है। किसी भी राष्ट्र का

उत्थान नारी शक्ति के बिना सम्भव नहीं। उसके सम्बन्ध में तो यहाँ तक कहा गया है कि “जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता वास करते हैं।”

सम्पूर्ण विश्व में आज महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इस विषय पर विभिन्न सेमिनार एवं कार्यशालायें आयोजित की जा रही हैं और कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे दुनिया भर के संसाधन आज महिला सशक्तिकरण को ही समर्पित हैं। इस स्थिति में यह भ्रम हो सकता है कि आज महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया है, लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है। जो वास्तविकता से बहुत दूर है।

महिला सशक्तिकरण की मीमांसा करने के पहले उन प्रतिमानों का निर्धारण आवश्यक है जिनके आधार पर सशक्तिकरण को आँका जा सके। शिक्षा, लिंगानुपात, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएँ और काम करने की आजादी को संयुक्त राष्ट्र संघ विकास का पैमाना मानता है। परंतु वर्तमान के मानव विकास सूचकांक को विकास का पैमाना माना जाता है। जिसको निर्धारित करने में प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर और पर्यावरणीय दशाओं को भी महत्व दिया जाता है। मानव विकास सूचकांक समाज में महिलाओं की स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नवीनतम रिपोर्ट में १७५ देशों के बीच मानव विकास के मामले में भारत को १२७वाँ स्थान मिला है। जो हमारे विकास संबंधी सभी दावों को झुठला देता है।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्यः—

समाज में बढ़ता हुआ लिंगानुपात एवं महिला अपराध एक गंभीर समस्या का रूप धारण का चुका है। आजजहां एक ओर सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक—आर्थिक स्थिति में सुधार के दावे किए जाते हैं, वहीं कई निजी संस्थाओं द्वारा भी इस बात की पुष्टि समय—समय पर किये जाते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के हिंसा व उत्पीड़न तथा भ्रूण हत्या के कारण समय—समय पर समाचार पत्रों एवं कई निजी संस्थाओं द्वारा अपने रिपोर्ट में महिलाओं के गिरते सामाजिक स्तर की भी खबरें आती रही हैं। आज महिलाओं की वास्तविक सामाजिक स्थिति को जानना और उनके सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे प्रयास के प्रभावों को जानना समय की मांग बन गयी है।

अध्ययन पद्धति—

प्रस्तुत अध्ययन कार्य हेतु प्राथमिक तथ्यों के संकलन के आधार पर किया गया है। द्वितीयक तथ्यों के संकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों एवं समाचार पत्र—पत्रिकाओं की सहायता ली गयी है।

तथ्यों का विश्लेषणः—

शिक्षा विशेष रूप में उच्च शिक्षा आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रकार का बीमा है जिसका प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष संबंध महिलाओं की स्वतंत्रता सामाजिक स्तर को सुदृढ़ करने से होता है। जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, वृहत्तर नियंत्रण के लिए प्रयास द्वारा महिलाएं अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होती हैं। दूसरे शब्दों में सशक्तिकरण एक अनुभूति है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को मानसिक ऊर्जा मिलती है। जिससे महिलाएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होती हैं। शिक्षा और जागरूकता के फलस्वरूप महिलायें अपने अधिकारों का बोधात्मक उपयोग कर सकती हैं अंतरराष्ट्रीय विकास की धारा में भागीदार बनने के लिए शिक्षित एवं जागरूक होना मील का पत्थर साबित हो सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है पर अभी वे बलात्कार, दहेज, दहेज—हत्या पारिवारिक हिंसा और उत्पीड़न की शिकार हैं। अभी भी वे स्वालंबी नहीं बन पाई हैं और न पूरी तरह से शिक्षित। इसी वर्ग से स्त्री—विमर्श, नारीवाद और महिला सशक्तिकरण की आवाज भी बुलंद की गई है। ‘नोबल पुरस्कार’ से सम्मानित अमर्त्य सेन का मत है कि “कन्या भ्रूण और कन्या हत्या, कन्याओं के कुपोषण, एक अपराध जो भारत में चुपचाप स्वीकृत पाता जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या न सिर्फ सामाजिक सम्मान बल्कि सरकार की जनसंख्या नीति से भी प्रभावित होती है। जिसमें “हम दो हमारे दो” का नारा भी अहम भूमिका निभाता है।” अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान के रवि वर्मा का कहना है कि भारतीय परिवार जो सरकारी प्रचार प्रसार के कारण छोटा होता जा रहा है, पुत्रों की तुलना में कन्याओं के बलिदान को बढ़ावा देता है। बदलते समय के साथ कन्या भ्रूण हत्या के स्वरूप में बदलाव आया है। आज नगर और महानगर की शिक्षित महिलाएं जो कि महिला सशक्तिकरण का नारा लगा रही हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, सड़कों पर जुलूस निकाल रही हैं यह सब नारीवाद के तहत हो रहा है। कितनी विचित्र बात है कि यह भी कन्या भ्रूण हत्या में शामिल है। इन्हें भी पुत्र चाहिए क्योंकि इनका कहना है कि जब संतान

चाहिए तो लड़का ही होना चाहिए। यही कन्या भ्रूण हत्या काफलसफा परिवार के अंदर ही चकनाचूर हो जाता है। एक सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि देश में एक करोड़ कन्याएं जन्म लेती हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यह मानना है कि देश में प्रतिवर्ष पचास लाख कन्या भ्रूण नष्ट किये जाते हैं। इसी कारण से स्त्रीपुरुष के अनुपात में निरंतर कमी आती जा रही है। भारतीय जनगणना विधि द्वारा प्राप्त जनगणना वर्ष १९०१ से २०११ तक के आँकड़ें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को असमानता एवं शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। भारतीय महिलायें पुरुषों के मुकाबले विकास की दौड़ में काफी पीछे हैं। २००१ की जनगणना के आँकड़े बताते हैं। कि भारत में लगभग आधी महिला जनसंख्या पूर्णतया निरक्षर है। ओर विगत दशक (१९९१—२००१) में महिला निरक्षरता अपेक्षाकृत बढ़ी है। समान काम के बदले समान बेतन प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा २००४ बताती है कि इस मामले में बेहद विसंगति है कार्यस्थल पर महिला का शारीरिक उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का बढ़ता ग्राफ महिलाओं द्वारा की जा रही आत्महत्यायें, महिला सशक्तिकरण की निरर्थकता स्पष्ट कर देती है महिलायें न तो किसी दूर दराज के परम्परागत गांव में सुरक्षित हैं न ही देश की राजधानी के राजपथ पर।

आज हम प्रतिवर्ष हजारों शिशुओं की गर्भ में ही सिर्फ इसीलिये हत्या कर देते हैं कि गर्भ में पल रहा वो जीवन एक कन्या का है। इन घृणित हत्याओं के कारण देशभर में लिंगानुपात बेहद कम है। विश्व के अधिकतर विकसित देशों में लिंगानुपात लगभग बराबर है। कही—कही पुरुषों के मुकाबले यह अधिक भी है। लिंगानुपात समाज में महिलाओं की स्थिति का प्रतीक है। कम लिंगानुपात यानी कम विकसित राष्ट्र।

लिंगानुपात के मामले में हमारे यहां एक और विसंगति है। यदि गरीब एवं पिछड़े राज्यों में लिंगानुपात कम हो तो बात तर्कसंगत है। लेकिन भारत में लिंगानुपात उन राज्यों में कम है। जो आर्थिक दृष्टि से भारत के विकसित राज्यों में गिने जाते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे अति विकसित राज्यों में न्यूनतम लिंगानुपात बताता है। कि भारत में यह सिर्फ आर्थिक समस्या ही नहीं है अपितु इसके पीछे कई सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण भी हैं। जो समाज अपनी बेटियों को पैदा ही नहीं होने देता उसे हम विकसित समाज नहीं कह सकते।

निम्न आँकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि सन १९०१ के बाद से भारत में लिंगानुपात लगातार कम हुआ है—

तालिका—१ भारत में लिंगानुपात अनुपात

वर्ष	प्रति १००० पुरुषों पर महिलाओं की संख्या
१९०१	९७२
१९११	९६४
१९२१	९५५
१९३१	९५०
१९४१	९४५
१९५१	९४६
१९६१	९४१
१९७१	९३०
१९८१	९३३
१९९१	९२७
२००१	९३३
२०११	९४०

स्त्रोत:— इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट २०११—१२

समूचे विश्व के साथ आज हमारे देश में भी मातृ शक्ति को कमजोर किया जा रहा है। यदि कन्याओं को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता रहा और काल की पगध्वनि को अनसुना किया जाता रहा। तो एक दिन ऐसा भी आयेगा कि हमारे देश से स्त्री प्रजाति लुप्त हो जाये। जिस अनुपात और जिस तीव्र गति से हमारे देश में कन्याओं की जन्म दर घट रही है वह अत्यन्त अशुभ संकेत है स्त्री नहीं होगी तो पुरुष भी नहीं होगा। जननी को जन्म ही नहीं लेने दिया जायेगा तो जगत का सृजन कौन और कैसे करेगा।

जन्म के बाद कन्या को मार देने की प्रवृत्ति भारत के जिन इलाकों में पनपी उन क्षेत्रों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने पर ज्ञात होता है कि कभी यहाँ कन्याओं को लूटने वाली बबरता का दबदबा था। वहाँ कन्याओं को लूटने वाले परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या कर देते थे जिसका परिणाम यह हुआ कि कन्या के जन्म को वहाँ अभिशाप समझा जाने लगा। स्त्रियों की सुन्दरता को मृत्यु का आमंत्रण माना और समझा जाने लगा। ठीक यही कहानी आज फिर दुहराई जा रही है। दहेज आदि सामाजिक कुरीतियों के चलते कन्या जन्म को अभिशाप समझा जाने लगा है इसीलिये जन्म लेने से पूर्व ही, माँ की कोख में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन कन्या भ्रूण की हत्या करने वाले यह नहीं जानते हैं कि वे कोख में सांस ले रहे एक अबोध की हत्या के साथ-साथ आत्महत्या भी कर रहे हैं। कन्या भ्रूण की हत्या करने वाले माँ-बाप एवं परिजनों को समझ लेना चाहिए कि यदि नारायणी को मारेगे तो नारायण को कोपभाजन भी उन्हीं को बनना पड़ेगा। वे इस सत्य को अनदेखा कर रहे हैं कि यदि वे लक्ष्मी के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो अंततः उनके हाथ कंगाली ही लगेगी।

समाज में बढ़ती भ्रूण परीक्षण एवं हत्या के संदर्भ में उत्तरदाताओं के विचारों का विश्लेषण क्रमशः तालिका संख्या २ तथा ३ में किया जा रहा है।

तालिका संख्या ०२—कन्या महिलाओं को भ्रूण परीक्षण करवाना चाहिए

क्रम संख्या	भ्रूण परीक्षण करवाना	आवृत्ति	प्रतिशत
०१	उचित	०२	०४
०२	अनुचित	४५	९०
०३	कोई उत्तर नहीं	०३	०६
	योग	५०	१००

तालिका संख्या ०२ से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महज ०४ प्रतिशत महिलायें ही महिलाओं के भ्रूण परीक्षण को उचित बताते हैं जबकि ०६ प्रतिशत इस संदर्भ में अपने विचार प्रकट करने से इंकार करती हैं। सर्वाधिक ९० प्रतिशत महिलायें इस कार्य को अनुचित मानती हैं।

तालिका संख्या ०३—महिलाओं के गर्भपात करवाने के प्रति मनोवृत्ति

क्रम संख्या	मनोवृत्ति	आवृत्ति	प्रतिशत
०१	उचित	०४	०८
०२	अनुचित	४४	८८
०३	कोई उत्तर नहीं	०२	०४
	योग	५०	१००

महिलाओं के गर्भपात करवाने के प्रति मनोवृत्ति के संदर्भ में तालिका संख्या ०३ से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ०८ प्रतिशत महिलायें इस कार्य को उचित मानती हैं, ८८ प्रतिशत उत्तरदाता इसे अनुचित मानती हैं जबकि ०४ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संदर्भ में अपने कोई भी विचार व्यक्त नहीं किये।

हम यह कह सकते हैं कि समाज में महिला व पुरुष कितने भी शिक्षित क्यों न हो जाये परन्तु कुछ लोगों की मनोवृत्ति आज भी रूढ़िवादी है। जिससे वे बालक व बालिकाओं में भेद करने से परे नहीं हैं। ८ प्रतिशत उत्तरदाता आज भी ऐसे हैं जो बालिकाओं के शिक्षित होने के पक्ष में नहीं हैं जिनमें से ७५ प्रतिशत खराब माहौल होने का कारण व २५ प्रतिशत घर का असंतुलित वातावरण का कारण बताती हैं। २१ वीं सदी में बालक और बालिकाओं में इतना भेद है कि ४ प्रतिशत उत्तरदाता लिंग परीक्षण को भी उचित बताती हैं वहीं ६ प्रतिशत उत्तरदाता इस कसमकस में हैं कि वे लिंग परीक्षण को उचित को अनुचित। हमारा देश पुरुष प्रधान होने के कारण बालकों के जन्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है वहीं लिंग परीक्षण में बालिका ज्ञात होने पर उनका गर्भपात करा दिया जाता है। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर कुछ निम्न सुझाव दिये गये हैं—

सुझाव—

यह एक गंभीर और ज्वलंत प्रश्न है कि हम कन्या भ्रूण हत्या पर किस प्रकार से अंकुश लगाएं कियह जघन्य अपराध न परिवार कर सके और न ही एकडॉक्टर। यद्यपि इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कानून बना दिए है। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि कानून बनते रहते है जितने अपराध नहीं उससे कहां अधिक अपराध की धाराएं है जो कानून को सही अर्थों में काम करने से रोकती है। इसी की वकील खाता है कानून बनते है पर क्या ये लागू किए जाते है? देश को अच्छा बनाने, नैतिकपूर्ण बनाने, राष्ट्रभक्त बनाने, भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि जनता की सक्रिय भागीदारी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में होनी चाहिए।

१. परिवार के लोगो को लड़के और लड़की केमहत्व को समझाना चाहिए। एक सजगपरिवार एक सजग समाज को गढ़ता है।
२. शिक्षित संभ्रांत और प्रभावशाली व्यक्तियों कीसमिति बनाना चाहिए जो अल्ट्रासाउण्ड के केंद्रों का निरीक्षण करके रिपोर्ट सरकार को भेजे।
३. परम्परागत पुत्र की मानसिकता को दूर करना चाहिए जिससे पुत्र और पुत्री की अवधारणा मेंकमी आ सके।
४. कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जनता का दबावहोना चाहिए। वे लोग जो इसमें लिप्त पाए जाए उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाए तथा इन्हें भी सामाजिक बहिष्कार का दंड दिया जाना चाहिए।
५. वे परिवार जहां लड़कियां अधिक है और निर्धन भी है, ऐसे परिवारों को सरकार आर्थिकसहायता प्रदान मिलनी चाहिए जिससे वे शिक्षित होकर स्वावलंबी बने।
६. दहेज के विरुद्ध आंदोलन चलाना चाहिए । वे लोग जो दहेज मांगते है और लते है। उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। क्योंकि दहेजका आतंक भी हत्या को प्रोत्साहित करता है।
७. मीडिया का दायित्व है कि वह कन्या भ्रूणहत्या के विरुद्ध आवाज बुलंद करे। जो इसमें लिप्त है उनका पर्दाफाश करे। लड़कियों केमहत्व को निरंतर उजागर करे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

१. फोर्थ एम्पायर, फरवरी , २०१७, पृ० ९
२. प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर, २०१८
३. डॉ विप्लव (२०१३). महिला सशक्तिकरण: विविध आयाम — राहुल पब्लिशिंग हाउस
४. पांडे चंद्रकला. दहेज प्रथा के बदलते आयाम, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, शाखा कानपुर पृ. १७
५. सिंह, मिनाक्षी निशांत (२००९). महिला सशक्तिकरण का सच, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
६. सिंह,वी०एन०. सिंह, जनमेजय (२०१०). आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन्सभारत, २०११
७. प्रतियोगिता दर्पण — जून २०१८, अक्टूबर २०१८
८. गृहशोभा — मई जून २०१७
९. मनोरमा ईयर बुक — २०१७
१०. नवभारत टाइम्स, रोजगार समाचार एवं रोजगार निर्माण आदि।

**डॉ. अमिताप शर्मा****वणिज्य विभाग , शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी, (म.प्र.)**